पत्र प्राप्ति दि० 13292/16.7.2013

संख्या–233 / सात–न्याय–2–2013–68जी / 2011

प्रेषक,

एस0 के0 पाण्डेय,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

न्याय अनुभाग–2 (अधीनस्थ न्यायालय) लखनऊ:दिनांक: 13 जून, 2013

विषयः–अधीनस्थ न्यायालय के लिपिकीय संवर्ग के पदों पर उत्तर प्रदेश सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के संबंध में लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन।

महोदय,

वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–4) में न्याय विभाग के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालयों के लिपिकीय संवर्ग के पदों पर राजकीय विभागों के लिपिक संवर्ग के पदों के समान वेतनमान एवं ढ़ॉचा रखें जाने के संबंध में शासनादेश संख्या–1595 / सात–न्याय–2–2011–68जी / 2011, दिनांक 17 फरवरी, 2012 निर्गत किया गया।

2– वेतन समिति, 2008 की संस्तुतियों पर लिपिकीय संवर्ग के संबंध में लिये गये निर्णयों को संशोधित करने ~~विषयक~~ वित्त विभाग के पत्र संख्या–वे0आ0–2–2105 / दस–54(एम) / 2008टी0सी0, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 के कम में अधीनस्थ न्यायालयों के लिपिकीय संवर्ग के पदों पर निम्नवत् व्यवस्था दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 से लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) लिपिकीय संवर्ग के पूर्व वेतनमान रू04500–7000 में उपलब्ध पदों का पदनाम प्रधान सहायक करते हुए वेतनमान रू0 5000–8000 के सादृश्य वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 / – अनुमन्य किया जाता है।

–2–

(2) प्रधान सहायक के पदों को पुनर्गठित संवर्ग के वरिष्ठ सहायक (पूर्व पदनाम यथा वाद लिपिक, इजरायवाद लिपिक, सत्र लिपिक, सिविल लिपिक, अपील लिपिक, उप नाजिर, लिपिक/अहलमद (परिवर्तित पदनाम वरिष्ठ सहायक) से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

(3) पूर्व वेतनमान रू0 5000–8000 तथा रू0 5500–9000 में उपलब्ध पदों का पदनाम प्रशासनिक अधिकारी करते हुये वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/– के स्थान पर उच्चीकृत वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– अनुमन्य होगा।

(4) प्रशासनिक अधिकारी के पदों को 05 वर्ष की सेवा वाले प्रधान सहायक के पदों से शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–वे0आ0–1–427/दस– 2013, दिनांक 13–06–2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं ।

भवदीय,

(एस0 के0 पाण्डेय)
प्रमुख सचिव ।

<u>संख्या–233(1)/सात–न्याय–2–2013, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2– समस्त जिला जज, उत्तर प्रदेश ।
4– समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3– वित्त (वेतन–आयोग) अनुभाग–1/2
5– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–12
6– वित्त (सामान्य) अनुभाग–1/2
7– न्याय अनुभाग–9 (बजट)
8– गार्ड बुक हेतु ।

आज्ञा से,
Rakesh 13.06.20

(आर0 के0 उपाध्याय),
विशेष सचिव ।

आदेश

[illegible] लिपिक को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित [illegible] ।

[illegible]
16.7.2013